रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2272]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2011/अग्रहायण 10, 1933
No. 2272]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2011/AGRAHAYANA 10, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2725(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक चावला को 20 अक्तूबर, 2011 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

2. उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें, समय-समय पर यथासंशोधित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 5/93/2010-सीएस]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2011

S.O. 2725(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Chawla as the Chairperson of the Competition Commission of India with effect from the 20th October, 2011 (afternoon) for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service will be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, as amended from time to time.

[F. No. 5/93/2010-CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2726(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शिव नारायण ढींगरा को 18 अक्तूबर, 2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

2. उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें, समय-समय पर यथासंशोधित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे ।

[फा. सं. 5/93/2010-सीएस]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2011

S.O. 2726(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Shiv Narayan Dhingra as a Member of the Competition Commission of India with effect from the 18th October, 2011 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service will be governed by Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, as amended from time to time.

[F. No. 5/93/2010-CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.